

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - श्रीरामा

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 2024/25 तारख दिनांक 09/09/2025 निर्णय दिनांक 27/09/2025



क्र.सं.	नाम-शाम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>श्रीरामा</u>	<u>132</u>	<p>महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर <u>प.ह. श्रीरामा</u></p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर <u>Pranav</u></p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशाखा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>श्रीरामा</u> प.ह. <u>श्रीरामा</u> खतासं. <u>132</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल श्रीरामा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार (भू.अ.)

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चितौड़गढ